कार्यालय जिला पंचायत, बागपत।

पत्रांकः– 1180 /जि0पं0,बागपत/2021–22 दिनांकः– 31-12-2021

विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद बागपत के कस्बा बड़ौत में बालिका छात्रावास को मासिक किराये पर दिये जाने हेतु इच्छुक शैक्षिक संस्थानों तथा इस कार्य में जुडे व्यक्तियों से मासिक किराये की बीड दिनांक 11.01.2022 तक समय 12:00 बजे तक http//etender.up.nic.in पर आमंत्रित की जाती है।

अतः ई–टेंडरिंग के माध्यम से ठेके कि नीलाम बीड दिनांक–11.01.2022 को समय 03:00 बजे कार्यालय जिला पंचायत, बागपत में सक्षम अधिकारी द्वारा नीलाम समति एवं व्यक्तियों/ठेकेदारो के समक्ष खोली जायेगी। उक्त भवन की नीलाम बीड के सम्बन्ध में शरायत नीलाम व अन्य जानकारी वेबसाइट http//baghpat.nic.in एंव http//etender.up.nic.in पर देखी जा सकती है।

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, बागपत।

प्रतिलिपिः–सम्पादक दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण व दैनिक जनवाणी को इस आशय से प्रेषित कि आप उक्त विज्ञप्ति को अपने आगामी अंक में कम से कम स्थान में एक बार प्रकाशित कराकर बिल भुगतान हेतु इस कार्यालय को भिजवाने का कष्ट करें।

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, बागपत।

कार्यालय जिला पंचायत, बागपत।

पत्रांकः— 1181/जि0पं0बागपत/2021–22 दिनांकः— 3-12-2021

—: बीड सूचना :—

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद बागपत के कस्बा बडौत में बालिका छावास को मासिक किराये पर दिये जाने हेतु इच्छुक शैक्षिक संस्थानों तथा इस कार्य में जुडे व्यक्तियों से मासिक किराये की बीड दिनांक 11.01.2022 तक समय 12:00 बजे तक http//etender.up.nic.in पर आमंत्रित की जाती है।

अतः ई–टेंडरिंग के माध्यम से ठेके कि नीलामी की बिड दिनांक–11.01.2022 को समय 03:00 बजे कार्यालय जिला पंचायत, बागपत में सक्षम अधिकारी द्वारा नीलाम समति एवं व्यक्तियों/ठेकेदारो के समक्ष खोली जायेगी। उक्त ठेके की नीलामी के सम्बन्ध में शरायत नीलाम व अन्य जानकारी वेबसाइट http//baghpat.nic.in एंव http//etender.up.nic.in पर देखी जा सकती है।

1. यह है कि बिड में भाग लेने वाले व्यक्ति/संस्था की ओर जिला पंचायत का कोई धन बकाया है तो वह पिछले बकाया धन के भुगतान के उपरान्त ही बीड में भाग लेने का पात्र होगा।
2. यह कि बिड में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति/संस्था को प्रति बिड अंकन–4,00000/–रू0 का बैंक ड्राफ्ट अपर मुख्य अधिकारी के पद नाम से बन्धक कराकर धरोहर के रूप में बिड खोले जाने की तिथि से पूर्व जिला पंचायत में जमा करना होगा।
3. यह है कि बिड में भाग लेने वाले व्यक्ति/संस्था की ओर जिला पंचायत का कोई धन बकाया है और उसके द्वारा यदि बिड डाल दी जाती है पर विचार नही किया जायेगा।
4. यह कि उच्चतम प्राप्त बिडदाता को प्रश्नगत भवन आवंटन का अनुबन्ध कराने से पूर्व अपने शैक्षिक कार्य के सम्बन्ध मे पूर्ण विवरण देना होगा।
5. यह कि बिड में आने वाली किसी भी बोली को निरस्त करने का अधिकार मा0 अध्यक्ष महोदया जिला पचांयत, बागपत में सुरक्षित रहेगा, जो दोनो पक्षो को मान्य होगा।
6. यह कि बिड मा0 अध्यक्ष महोदया जिला पंचायत एंव सक्षम स्तर शासन की स्वीकृति की प्रत्याशा में छोडा जायेगा, सक्षम स्तर से स्वीकृति का निर्णय अन्तिम एंव बन्धनकारी होगा।
7. यह कि धरोहर की धनराशि के वापसी के सम्बन्ध में नीलाम समिति बिड के बाद निर्णय लेगी। उच्चतम बिडदाता के धनराशि जमा न करने पर नीलाम समिति दूसरे बिडदाता की बिड के सम्बन्ध में उचित निर्णय लेने हेतु स्वतन्त्र होगें।
8. यह कि उच्तम बिडदाता की स्वीकृति/किराया अनुबन्ध के उपरान्त प्रश्नगत भवन नगर पालिका अथवा किसी स्थानीय निकाय अथवा राज्य सरकार द्वारा लगाये जाने वाले समस्त प्रकार के टैक्सेस व शुल्क आदि की अदायगी का पूर्ण दायित्व किरायेदार पर होगा जो किरायेदार मासिक रूप से प्रश्नगत भवन के मासिक किराये की धनराशि के साथ जिला पंचायत में स्वंय जमा करता रहेगा। जो कि प्रत्येक माह की 10 तारीख तक जमा करना होगा।
9. यह है कि प्रश्नगत भवन के मासिक किराये में प्रत्येक 03 वर्ष के उपरान्त शासनादेशानुसार तदसमय की किरायेदारी 25–प्रतिशत की वृद्धि करने का अधिकार जिला पंचायत, बागपत में निहित रहेगा जो किरायेदार पर बन्धनकारी होगा। आगामी 03 वर्ष बाद बढे हुए किराये पर 25 प्रतिशत की वृद्धि होगी और इसी प्रकार प्रत्येक 03 वर्ष बाद किराये की गणना होगी।

10. यह कि किरायेदार प्रश्नगत भवन अथवा उसका कोई भाग किसी अन्य व्यक्ति को किराये आदि पर नही देगा।

11. यह कि किरायेदार प्रश्नगत भवन में कोई तोड़–फोड़ अथवा परिवर्तन जिला पंचायत की लिखित अनुमति के बिना नही कर सकेगा।

12. यह कि यदि किरायेदार किराया अनुबन्ध की अवधि के मध्य प्रश्नगत भवन स्वेच्छा से छोड़ना चाहे तो वह एक मास के किराये व टैक्सेस की धनराशि के बराबर धनराशि अदा करने अथवा एक माह पूर्व जिला पंचायत को लिखित नोटिस देकर ऐसा कर सकेगा।

13. यह कि प्रश्नगत भवन मे बिजली फिटिंग/विद्युत कनैक्शन किरायेदार स्वयं अपने व्यय पर करायेगी।

14. यह कि किरायेदार प्रश्नगत भवन में किसी प्रकार का क्षोभक कार्य नही करेगा।

15. यह है कि शासन की स्वीकृति के उपरान्त किरायेदार को निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पेपर पर जिला पंचायत बागपत के साथ अनुबन्ध करना होगा।

16. इच्छुक व्यक्ति/संस्था को जिलाधिकारी के स्तर से निर्गत 25,00000/– रू0(पच्चीस लाख) की हैसियत का प्रमाण पत्र अपने अवेदन के साथ संलग्न करना होगा।

17. यह है कि भवन की किराये की अनुबन्ध की अवधि 29 वर्ष रहेगी। इस अवधि हेतु मासिक किराये की बीड आंमन्त्रित की जाती है।

18. यह है कि स्वीकृत बीडदाता को अनुबन्ध से पूर्व अंकन 10,00000/–रू0 (दस लाख) की धनराशि जिला पंचायत, बागपत में कार्यालय के माध्यम से जमा करानी होगी जो किसी भी दायित्व के सापेक्ष समायोजित नही होगी।

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, बागपत।

प्रतिलिपिः–

1. मा0 अध्यक्ष महोदया जिला पंचायत, बागपत को सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य विकास अधिकारी/मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, बागपत को सूचनार्थ।
3. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, बागपत को इस अनुरोध के साथ कि उक्त निविदा को इन्टरनेट पर प्रकाशित करा दें।
4. उप जिलाधिकारी, बागपत से अनुरोध है कि जिलाधिकारी महोदय कार्यालय के पत्र संख्या–156/एस0टी0कैम्प–20 दिनांक–20 अप्रैल, 2017 के कम में आपकी उपस्थिति प्राथनीय है।
5. अपर मुख्य अधिकारी, वित्तीय परामर्शदाता व अभियन्ता, जिला पंचायत बागपत को इस निर्देश के साथ कि उक्त दिनाकों में नीलामी के समय कार्यालय में उपस्थित रहकर बीड की कार्यवाही में अपना सहयोग प्रदान करेगें।

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत बागपत।